"बिहान" अंतर्गत सामूदायिक संवर्गो के चिन्हांकन के मापदण्ड एवं मानदेय

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक महत्वाकांक्षी योजना है। छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त 27 जिलो के 85 सघन विकासखण्ड़ में इसका कियांवयन "बिहान" के माध्यम से किया जा रहा हैं। "बिहान" अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के गरीब परिवार एवं वंचित समुदाय की महिलाओं को सर्वप्रथम स्व–सहायता समूहों के रूप में संगठित कर प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे कि गरीबी के दुष्चक्र से सदस्य बाहर आ सके। सामुदायिक संस्थाओं यथा स्व–सहायता समूह, ग्राम संगठन, संकुल संगठन आदि के क्षमतावर्धन एवं मिशन के सामुदायिककरण हेतु समुदाय से विभिन्न प्रकार के सामुदायिक संवर्ग को चिहांकित कर प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे कि ये सामुदायिक संवर्ग इन्ही समुदायों के मध्य रहकर संस्थाओं का विकास एवं नेतृत्वकर्त्ताओं के लिए आवश्यक सहयोग सह क्षमतावर्धन का कार्य निरंतर कर सके। सामुदायिक संस्थाओं के देखरेख में समुदाय अंतर्गत निम्नलिखित सामुदायिक संवर्ग कार्य करते हैं:–

1. **पुस्तक संचालक**: स्व–सहायता समूह के बैठको एवं पुस्तक संधारण हेतु प्रत्येक समूह में एक पुस्तक संचालक होता है जोकि उसी समूह की पढ़ी–लिखी सदस्य होती है। पुस्तक संचालक को प्रत्येक बैठक में उपस्थित हो कर पुस्तक संधारण करना होता हैं, उक्त कार्य को जिम्मेदारी पूर्वक करने हेतु पुस्तक संचालक को समूह की आय से गौरव मानदेय दिया जाता है।

स्व–सहायता समूह के पुस्तक संचालक के चिन्हांकन का मापदण्ड –

- स्व–सहायता समूह का ही कोई एक पढ़ा–लिखा सदस्य होना चाहिए।
- समूह में पढ़ा–लिखा सदस्य नही होने पर, सदस्य के परिवार का कोई व्यक्ति या पड़ोसी स्व–सहायता समूह का पुस्तक संचालक हो सकता है।
- गरीब परिवार, वंचित समुदाय की महिला को प्राथमिकता प्राप्त होना चाहिए।

पुस्तक संचालक के कार्य :

- समूह कि साप्ताहिक बैठको में उपस्थित होना एवं पुस्तक लेखन करना।
- समूहो को ग्यारह सूत्र के पालन हेतु प्रेरित करना।
- समूह का मासिक प्रतिवेदन तैयार करना।
- दस्तावेजो के अंकेक्षण में सहयोग करना।
- समूह के निर्देशो का पालन करना।

आवश्यक प्रशिक्षण :

- पुस्तक संचालक ने समूह प्रबंधन प्रशिक्षण (3 दिवस) प्राप्त किया हो।

- पुस्तक संचालक ने पुस्तक संधारण प्रशिक्षण (5 दिवस) प्राप्त किया हो।
- पुस्तक संचालक ने रिफ्रेशर प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।

मानदेय : पुस्तक संचालक को समूह की आय से न्यूनतम रूपये 20/– मानदेय मासिक दिया जाना हैं।

2. **सकिय महिला** :– प्रत्येक ग्राम स्तर पर समुदाय एवं स्व–सहायता समूह को सहयोग करने हेतु उसी ग्राम की कम से कम दो सक्रिय महिला को चिहांकित कर प्रशिक्षित किया जाता हैं। प्रशिक्षण उपरांत ग्राम संगठन द्वारा सक्रिय महिला की सेवा लिया जाता हैं।

सकिय महिला चिन्हांकन के मापदण्ड –

- सीआरपी चक्र के दौरान सी.आर.पी. दल द्वारा चिन्हांकित।
- सीआरपी दल द्वारा गठित या पुर्नगठित स्व–सहायता समूह की सकिय सदस्या।
- संबंधित सदस्य का उसी गांव में निवासरत होना अनिवार्य हैं।
- गरीब परिवार, वंचित समुदाय की महिला होना चाहिए।
- कम से कम आठवी कक्षा पढ़ी हो।
- समुदाय से संवाद स्थापित करने की क्षमता होना चाहिए।
- स्व प्रेरित एवं गरीबों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए।

सकिय महिला के कार्य :

- गरीब एवं वंचित परिवार की सदस्य को समूह से जुड़ने हेतु प्रोत्साहन।
- नवीन स्व–सहायता समूह का गठन एवं पुराने समूह का पुर्नगठन करना।
- समूह के लिये मुलभुत एवं रिफ्रेशर प्रशिक्षण का आयोजन करना।
- समूहो कि बैठको में उपस्थित होना एवं नियम पालन हेतु प्रोत्साहन देना।
- समूहो को ग्यारह सूत्र के पालन हेतु प्रेरित करना।
- समूह एवं पुस्तक संचालक को आवश्यकतानुसार सहयोग प्रदान करना।
- समूह एवं गांव की आवश्यक जानकारी रखना।
- ग्राम संगठन, कार्यकर्त्ता आदि के निर्देशो का पालन करना।

आवश्यक प्रशिक्षण :

- सदस्य ने इंडक्शन प्रशिक्षण (7 से 10 दिवस) प्राप्त किया हो।
- सीआरपी दल के साथ संलग्नीकरण (15 दिवस) हुआ हो।

- सदस्य ने टीओटी पूर्ण किया हो।

मानदेय : सक्रिय महिला को रूपयें 150/– प्रति कार्य दिवस के मान से मानदेय अधिकतम रूपयें 1500/– मासिक का प्रावधान हैं।

3. **संसाधन/मास्टर पुस्तक संचालक**:– प्रत्येक संकुल अंतर्गत ग्राम में गठित स्व–सहायता समूहों के पुस्तकों को अद्यतन रखने में सहयोग करने, अंकेक्षण एवं पुस्तक संचालकों के क्षमतावर्धन करने हेतु संसाधन/मास्टर पुस्तक संचालक तैयार किया जाता है। प्रत्येक संकुल स्तरीय संगठन द्वारा उक्त कार्य हेतु कम से कम 04 संसाधन या मास्टर पुस्तक संचालक तैयार कर संबंधितों की सेवा लिया जाता है।

चिन्हांकन का मापदण्ड :

- कम से कम एक वर्ष पूराने ऐसे स्व–सहायता समूह का पुस्तक संचालक जो ग्यारह सूत्र का पालन करता हो।
- सदस्य का समूह को चक्रीय निधि, सामुदायिक निवेश कोष या बैंक ऋण प्राप्त हुआ हो।
- सदस्य ने समूह से लिये गये ऋण को समय पर वापस किया हो।
- स्व–सहायता समूह की कम से कम 50 बैठकों में पुस्तक संधारण का अनुभव हो।
- गरीब परिवार, वंचित समुदाय की महिला होना चाहिए।
- कम से कम 10 कक्षा पढ़ी हो।
- जिसने संसाधन पुस्तक संचालक हेतु आयोजित प्रशिक्षण में भाग लिया हो एवं पूर्ण किया हो।
- भूमिका निर्वाहन हेतु स्वयं, परिवार एवं समूह की सहमति प्राप्त हो।
- भौगोलिक परिस्थति एवं समुदाय की स्थिति अनुसार नियम में शिथिलता संभव हैं।

संसाधन पुस्तक संचालक के कार्य :

- स्व–सहायता समूह के पुस्तक संचालक को उचित रीति से पुस्तक लेखन में सहयोग करना।
- पुस्तक संचालक के लिये कम से कम पांच मुलभुत एवं रिफ्रेशर प्रशिक्षण का आयोजन करना।
- समूहो कि बैठको में उपस्थित होना एवं पुस्तक की जॉच करना।
- समूह की पुस्तको का नियमित रूप से अंकेक्षण एवं समूह में प्रस्तुतिकरण।
- समूहो से संबंधित आवश्यक जानकारी रखना।

- संकुल संगठन एवं ग्राम संगठन से प्राप्त निर्देशो का पालन करना।

आवश्यक प्रशिक्षण :

- संसाधन पुस्तक संचालक ने पुस्तक संधारण प्रशिक्षण (न्यूनतम 5 दिवस) प्राप्त किया हो।
- पुस्तको का अंकेक्षण हेतु आयोजित प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।

मानदेय : संसाधन पुस्तक संचालक को अधिकतम रूपयें 4000/– मानदेय मासिक का प्रावधान हैं एवं कलस्टर अंतर्गत वास्तविक यात्रा भत्ता।

4. **एम.सी.पी मास्टर ट्रेनर** :– प्रत्येक संकुल अंतर्गत ग्रामों में गठित स्व–सहायता समूहों को सूक्ष्म ऋण योजना विषय पर प्रशिक्षण देने हेतु प्रत्येक संकुल स्तरीय संगठन में कम से कम 04 एम.सी.पी. मास्टर ट्रेनर तैयार किया जाता है एवं संबंधितों का सेवा प्रशिक्षण सह सूक्ष्म ऋण योजना तैयार करने हेतु लिया जाता है। जिससे कि समूहों के पास सामुदायिक निवेश कोष का उपयोग करने हेतु नियोजन उपलब्ध हो सके।

एम.सी.पी. मास्टर ट्रेनर के चिन्हांकन का मापदण्ड :

- कम से कम एक वर्ष पुराने ऐसे स्व–सहायता समूह का पुस्तक संचालक, जो ग्यारह सूत्र का पालन करता हो।
- सदस्य का समूह को चक्रीय निधि, सामुदायिक निवेश कोष या बैंक ऋण प्राप्त हुआ हो।
- सदस्य ने नियमित रूप से समूह द्वारा प्राप्त ऋण को वापस किया हो।
- स्व–सहायता समूह की पुस्तक संधारण का अनुभव हो।
- गरीब परिवार, वंचित समुदाय की महिला होना चाहिए।
- कम से कम 10 कक्षा पढ़ी हो।
- जिसने एमसीपी प्रकिया प्रशिक्षण में भाग लिया हो एवं पूर्ण किया हो।
- भूमिका निर्वाहन हेतु स्वयं, परिवार एवं समूह की सहमति प्राप्त हों।
- भौगोलिक परिस्थति एवं समुदाय की स्थिति अनुसार नियम में शिथिलता संभव हैं।

एम.सी.पी. मास्टर ट्रेनर के कार्य :

- स्व–सहायता समूह का एमसीपी प्रकिया पर प्रशिक्षण का आयोजन करना।
- प्रति माह कम से कम सात पात्र समूह का एमसीपी तैयार करवाना।
- समूहो कि बैठको में उपस्थित होना एवं प्रस्तुतिकरण करना।

- समूहो से संबंधित आवश्यक जानकारी रखना।
- संकुल संगठन एवं ग्राम संगठन से प्राप्त निर्देशो का पालन करना।

आवश्यक प्रशिक्षण :

- एमसीपी मास्टर ट्रेनर ने एमसीपी–टीओटी प्रशिक्षण (7 दिवस) प्राप्त किया हो।

मानदेय : एमसीपी– मास्टर ट्रेनर को रूपयें 200/– प्रति कार्य दिवस के मान से अधिकतम रूपयें 4,000/– मानदेय मासिक का प्रावधान हैं एवं कलस्टर अंतर्गत वास्तविक यात्रा भत्ता।

5. **ग्राम संगठन सहायिका** :– ग्राम संगठन की बैठको का दस्तावेजिकरण एवं पुस्तक संधारण हेतु प्रत्येक ग्राम संगठन में एक ग्राम संगठन सहायिका होती है। जिसका चिन्हांकन उस गांव की स्व–सहायता समूह की प्रशिक्षित पुस्तक संचालिका में से की जाती है। ग्राम संगठन सहायिका को प्रत्येक बैठक में उपस्थित हो कर पुस्तक संधारण करना होता हैं एवं वह ग्राम संगठन की कार्यकर्ता होती है।

ग्राम संगठन सहायिका के चिन्हांकन का मापदण्डः

- ग्राम संगठन द्वारा चिन्हांकित सदस्य/पुस्तक संचालक होना चाहिए।
- सदस्या जिसका समूह ग्यारह सूत्र पालन करता हो।
- जिसके समूह को आर.एफ., सी.आई.एफ. या बैंक ऋण प्राप्त हो।
- कम से कम 10 कक्षा पढ़ी हो।
- स्व–सहायता समूह की बैठकों में पुस्तक संधारण का अनुभव हो।
- भूमिका निर्वाहन हेतु स्वयं, परिवार, समूह एवं ग्राम संगठन के सदस्यों की सहमति प्राप्त हो।
- भौगोलिक परिस्थति एवं समुदाय की स्थिति अनुसार नियम में शिथिलता संभव हैं।

ग्राम संगठन सहायिका के कार्य :

- ग्राम संगठन कि बैठको में उपस्थित होना एवं पुस्तक लेखन करना।
- ग्राम संगठन का मासिक प्रतिवेदन तैयार करना।
- दस्तावेजो के अंकेक्षण में सहयोग करना।
- समूहो की साप्ताहिक बैठको में उपस्थित होना एवं पुस्तक लेखन में सहयोग करना।
- संसाधन पुस्तक संचालक को समूह के पुस्तक के अंकेक्षण में सहयोग करना।

- ग्राम संगठन के निर्देशो का पालन करना।

आवश्यक प्रशिक्षण :

- ग्राम संगठन सहायिका ने ग्राम संगठन प्रबंधन प्रशिक्षण (5 दिवस) प्राप्त किया हो।
- ग्राम संगठन सहायिका ने पुस्तक संधारण प्रशिक्षण (7 दिवस) प्राप्त किया हो।
- ग्राम संगठन सहायिका ने रिफ्रेशर प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।

मानदेय : ग्राम संगठन सहायिका को मानदेय रूपयें 500/– मासिक का प्रावधान हैं।

6. **आंतरिक सामुदायिक स्त्रोत व्यक्ति (आई.सी.आर.पी.)** :– ग्राम संगठन अंतर्गत कार्यरत प्रशिक्षित सक्रिय महिलाओं में से उत्कृष्ठ को चिन्हांकित कर सी.आर.पी चक्र एवं रणनीति विषय पर प्रशिक्षित किया जाता है। जिससे कि संबंधितों के सहायोग से "बिहान" कार्यक्रम का विस्तार अन्य चिन्हांकित विकासखण्डों में आंतरिक सी.आर.पी रणनीति अंतर्गत किया जा सके।

आंतरिक सी.आर.पी. के चिन्हांकन का मापदण्डः

- सी.आर.पी. दल द्वारा चिन्हांकित एवं सक्रिय महिला।
- कम से कम एक वर्ष पूराने ऐसे स्व–सहायता समूह की सक्रिय सदस्या हो जो ग्यारह सूत्र का पालन करता हो।
- सदस्य के समूह को चक्रीय निधि, सामुदायिक निवेश कोष या बैंक ऋण प्राप्त हुआ हो।
- सदस्य ने समूह से प्राप्त ऋण को समय पर नियमित रूप से वापस किया हो।
- समूह में उसका लेन–देन एवं व्यवहार अच्छा हो।
- सदस्या जिसने समूह की कम से कम 60 बैठकों में भाग लिया हो।
- सदस्य ने समूह से कम से कम 5–6 सूक्ष्म ऋण एवं 2–3 बड़े ऋण आजीविका सुदृढ़िकरण हेतु प्राप्त किया हो अर्थात कुल ऋण राशि कम से कम 25,000 रू. हो।
- सक्रिय महिलाओं हेतु आयोजित प्रशिक्षण/ सी.आर.पी चक्र के दौरान संलग्नीकरण /टी.ओ.टी. को सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो।
- स्वयं के गांव में लक्षित परिवारों को समूह से जोडने का कार्य किया हों।
- अन्य जिला/विकासखण्ड में जाकर "बिहान" के कार्य में सहयोग हेतु स्वयं, परिवार एवं समूह के सदस्यों की सहमति प्राप्त हो।

- भौगोलिक परिस्थति एवं समुदाय की स्थिति अनुसार नियम में शिथिलता संभव हैं।

आंतरिक सी.आर.पी. के कार्य :

- सीआरपी चक्र के दौरान दल के साथ प्रवास करना।
- सीआरपी प्रवास के दौरान किये जाने वाले कार्यो यथा ग्राम/आम सभा का आयोजन, सर्वे, मोबिलाईलेशन, समूह गठन, प्रशिक्षण, बैठक, पुस्तक संधारण आदि का कियांवयन करना।
- वंचित समुदाय का प्राथमिकतानुसार समूह गठन करना।
- प्रति ग्राम में कम से कम आठ समूह का गठन/पुर्नगठन करना।
- पुराने समूहो का आडिट कर, पुर्नगठन करना।
- संक्षेपण कार्यक्रम में आवश्यक दस्तावेजो के साथ प्रस्तुतिकरण।
- पीआरपी, कार्यकर्त्ता, कार्यालय द्वारा प्रदत्त निर्देशो का पालन करना।

आवश्यक प्रशिक्षण :

- सीआरपी रणनीति विषय पर प्रशिक्षण (न्यूनतम 10 दिवस) प्राप्त किया हो।

मानदेय : आंतरिक सीआरपी को रूपयें 300/– प्रति कार्य दिवस के मान से मानदेय एवं भोजन भत्ता रूपयें 100/– का प्रावधान हैं।

7. **आंतरिक परियोजना स्त्रोत व्यक्ति (आई.पी.आर.पी.)**:– संकुल स्तरीय संगठन अंतर्गत कार्यरत प्रशिक्षित संसाधन/मास्टर पुस्तक संचालकों में से उत्कृष्ठ को चिन्हांकित कर सी. आर.पी चक्र एवं रणनीति विषय पर प्रशिक्षित किया जाता है। जिससे कि संबंधितों के सहायोग से "बिहान" कार्यक्रम का विस्तार अन्य चिन्हांकित विकासखण्डों में आंतरिक सी. आर.पी रणनीति अंतर्गत किया जा सकें।

आंतरिक पी.आर.पी. के चिन्हांकन का मापदण्ड :

- संसाधन पुस्तक संचालक के रूप में कार्य करने का कम से कम एक वर्ष का अनुभव हो।
- सदस्य ने समूह से कम से कम 5–6 सूक्ष्म ऋण एवं 2–3 बड़े ऋण आजीविका सुदृढ़िकरण हेतु प्राप्त किया हो अर्थात कुल ऋण राशि कम से कम 25,000 रू. हो।
- सदस्य को भूमिका निर्वाहन हेतु स्वयं, परिवार, समूह, ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संगठन की सहमति प्राप्त हों।

- जिसने आंतरिक पी.आर.पी. हेतु आयोजित प्रशिक्षण में भाग लिया हों एवं प्रशिक्षण पूर्ण किया हो।

आंतरिक पी.आर.पी के कार्य :

- सीआरपी चक हेतु ग्रम का चिन्हांकन, आवश्यक जानकारी, तैयारी करना।
- सीआरपी चक के दौरान सीआरपी दल के साथ प्रवास करना।
- सीआरपी प्रवास के दौरान किये जाने वाले कार्यो में सहयोग एवं अनुश्रवण करना।
- संक्षेपण कार्यक्रम में आवश्यक दस्तावेजो के साथ प्रस्तुतिकरण।
- सीआरपी चक से संबंधित आवश्यक जानकारी रखना।
- सी.आर.पी चक उपरांत समूह में जुड़ने से छुटे गरीब परिवार एवं वंचित परिवार की सदस्य को समूह से जुड़ने हेतु प्रोत्साहन कर समूह गठन करना।
- नवीन स्व–सहायता समूह का गठन एवं पुराने समूह का पुर्नगठन करना।
- सामुदायिक संस्थाओं एवं पुस्तक संचालक के लिये प्रशिक्षण एवं रिफ्रेशर प्रशिक्षण का आयोजन करना।
- समूहो कि बैठको में उपस्थित होना एवं नियम पालन/ग्यारह सूत्र हेतु के पालन हेतु प्रेरित करना।
- सामुदायिक संस्थाओं एवं ग्राम कि आवश्यक जानकारी रखना।
- बैंक में खाता खोलने एवं बैंकिग कार्य में समूहो को सहयोग करना।
- सामुदायिक संवर्गो के साथ तालमेल रखना, क्षमतवर्धन एवं जिम्मेदारी सौपना।
- "बिहान" एवं कार्यकर्त्ता द्वारा प्रदत्त निर्देशो का पालन करना।

आवश्यक प्रशिक्षण :

- पीआरपी विषय पर प्रशिक्षण (न्यूनतम 10 दिवस) प्राप्त किया हो।

मानदेय : आंतरिक पी.आर.पी. को रूपयें 10,000/– मानदेय मासिक का प्रावधान हैं।

8. **<u>संकुल स्तरीय संगठन लेखापाल</u>** :– संकुल स्तरीय संगठन द्वारा आयोजित किये जाने वाले बैठको में उपस्थित हो कर बैठक का दस्तावेजिकरण एवं पुस्तक संधारण हेतु प्रत्येक संकुल स्तरीय संगठन में एक लेखापाल होती है। जिसका चिन्हांकन संकुल अंतर्गत कार्यरत प्रशिक्षित ग्राम संगठन सहायिकाओं में से की जाती है। लेखापाल को प्रत्येक बैठक में उपस्थित हो कर पुस्तक संधारण करना होता हैं एवं वह संकुल स्तरीय संगठन की कार्यकर्ता होती है।

संकुल स्तरीय संगठन के लेखापाल के चिन्हांकन का मापदण्ड –

- ग्राम संगठन सहायिका होना चाहिए।
- ग्राम संगठन की पुस्तक संधारण का अनुभव हो।
- शैक्षणिक योग्यता कम से कम स्नातक हो।
- भूमिका निर्वाहन हेतु स्वयं, परिवार, समूह, ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संगठन की सहमति प्राप्त हो।
- जिसने संकुल स्तरीय संगठन लेखापाल हेतु आयोजित प्रशिक्षण में भाग लिया हो एवं प्रशिक्षण पूर्ण किया हो।

लेखापाल के कार्य :

- संकुल संगठन कि बैठको में उपस्थित होना एवं पुस्तक लेखन करना।
- संकुल संगठन का मासिक प्रतिवेदन तैयार करना।
- दस्तावेजो के अंकेक्षण में सहयोग करना।
- आवश्यकतानुसार ग्राम संगठन की बैठको में उपस्थित होना एवं पुस्तक लेखन में सहयोग करना।
- संकुल संगठन के कार्यालय में प्रतिदिन उपस्थित होना एवं आवश्यक दस्तावेज तैयार करना।
- संसाधन पुस्तक संचालक एवं ग्राम संगठन सहायिका द्वारा आयोजित प्रशिक्षण में आवश्कतानुसार उपस्थित होना एवं सहयोग करना।
- संकुल संगठन के निर्देशो का पालन करना।

आवश्यक प्रशिक्षण :

- संकुल संगठन लेखापाल ने संकुल संगठन प्रबंधन प्रशिक्षण (5 दिवस) प्राप्त किया हो।
- संकुल संगठन लेखापाल ने पुस्तक संधारण प्रशिक्षण (10 से 15 दिवस) प्राप्त किया हो।
- संकुल संगठन लेखापाल ने आवश्यकतानुसार 05 से 07 दिवस का रिफ्रेशर प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।

मानदेय : संकुल संगठन के लेखापाल को मानदेय रूपयें 3,000/– मासिक का प्रावधान हैं।

9. **संसाधन दल** :– समुदाय अंतर्गत गठित सामुदायिक संस्थाओं यथा स्व–सहायता समूह, ग्राम संगठन, संकुल स्तरीय संगठन एवं सामुदायिक संवर्गो के क्षमतावर्धन एवं आवश्यक

सहयोग प्रदान करने हेतु विकासखण्ड एवं जिला संसाधन दल तैयार किया जाता है। इस हेतु क्षेत्र अंतर्गत कार्यरत उत्कृष्ठ सामुदायिक संवर्गो, अनुभवी/बेस्ट प्रेकटिशनर, स्त्रोत व्यक्ति आदि को मिलाकर विभिन्न विषयों पर संसाधन दल तैयार किया जाता है एवं प्रशिक्षण उपरांत संबंधितों का सेवा लिया जाता है।

संसाधन दल के चिन्हांकन का मापदण्ड :–

- सदस्य स्व–सहायता समूह का सकिय सदस्य होना चाहिए।
- सदस्य का समूह अनिवार्य रूप से ग्यारह सूत्र का पालन करता हो।
- सदस्य को "बिहान" कार्यक्रम की समझ एवं सामुदायिक संस्था, सामुदायिक कोष आदि विषयों की स्पष्ट जानकारी हो।
- सदस्य में प्रशिक्षक संबंधी आवश्यक गुण होना चाहिए एवं कम से कम 10 कक्षा पढ़ी हो।
- समूह मे जुडने के बाद सदस्य के जीवन–यापन के तरीके मे प्रगति हुई हो।
- पूर्व मे प्रशिक्षित सामुदायिक संवर्ग, अनुभवी/बेस्ट प्रेकटिशनर, योग्य प्रशिक्षक, अधिकारी आदि को चिहांकन प्रकिया में आवश्यकतानुसार प्राथकमिकता दिया जा सकता है।
- भूमिका निर्वाहन हेतु स्वयं, परिवार, समूह, ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संगठन की सहमति प्राप्त हो।

आवश्यक प्रशिक्षण :

- संबंधित विषय क्षेत्र का मुलभूतएवं रिफ्रेशर प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।
- सामुदायिक संवर्ग के रूप में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए।
- विकासखण्ड संसाधन दल हेतु आयोजित प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो।

मानदेय : संसाधन दल के सदस्य को आयोजित प्रशिक्षण के दौरान संसाधन शुल्क रूपयें 400/– प्रति प्रशिक्षण दिवस, आवश्यकतानुसार 100/– भोजन भत्ता (यदि भोजन उपलब्ध नहीं कराया गया हो तो) एवं वास्तविक यात्रा व्यय दिया जा सकता हैं।

नोट :– "बिहान" अंतर्गत सामुदायिक संस्थाओं के मजबूतीकरण, सामुदायिक संवर्गो के क्षमतावर्धन एवं कार्यक्रम के सामुदायिकरण हेतु विभिन्न स्तर पर सामुदायिक संवर्ग तैयार किये जाते है एवं सामुदायिक संस्थाओं के माध्यम से संबंधितों का सेवा लिया जाता है। प्रारंभ के दो वर्ष तक (भौगोलिक परिस्थिति एवं आवश्यकतानुसार इसे बढ़ाया जा सकता है) संबंधितों का मानदेय/संसाधन शुल्क "बिहान" द्वारा सामुदायिक संस्थाओं को दिया जाता है।